International Journal of Sociology and Political Science
www.sociologyjournal.in
Online ISSN: 2664-7745, Print ISSN: 2664-7737
Received: 24-03-2023, Accepted: 11-04-2023, Published: 26-04-2023
Volume 5, Issue 1, 2023, Page No. 66-68

पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के सम्मुख आने वाली समस्याऐं (मध्यप्रदेष के सागर जिले के विषेष संदर्भ में)

राजेन्द्र सूर्यवंषी
विभाग राजनीति विज्ञान, पीएच.डी. षोधार्थी, षासकीय हमीदिया कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश, भारत

सारांश
महिला जनप्रतिनिधि द्वारा ही ग्रामीण विकास की बात करने के पीछे यह तर्क है कि भारत में महिलाओं की संख्या भी काफी है, अतः इतनी बड़ी जनशक्ति के लिये उन्हें जनप्रतिनिधि बनाना आवश्यक है। महिलाओं के जनप्रतिनिधि बनने से उनकी झिझक और घबराहट दूर होगी तथा उनमें आत्मनिर्भरता का विकास होगा, साथ ही आत्मबल में वृद्धि होगी। यह सत्य है कि अभी भी महिलाएँ सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक दृष्टि से पिछड़ी हुई है। अतः उनकी उन्नति हेतु उन्हें आगे लाकर उन पर जिम्मेदारी डालना आवश्यक है। इस पहलू से विकास के तर्क पर प्रकाश डाले तो हम पाते हैं कि महिलाएँ स्वयं कई दृष्टियों से पिछड़ी एवं लज्जाशील होती हैं, अतरू विकास संबंधी जागरूकता को लेकर लोग उन्हें संशय की दृष्टि से देखते हैं। ग्रामीण विकास के लिये विकास कार्यों की योजना बनाना, कार्यस्थल का दौरा करना, भ्रष्ट अधिकारियों एवं कर्मचारियों से निपटना तथा विकास कार्यों की तकनीकी जानकारी रखना आदि महिलाओं हेतु उचित एवं योग्य कार्य नहीं माने जाते। राजनीति एवं विकास संबंधी कार्यों की जिम्मेदारी लेने से उनकी स्वयं की जिम्मेदारियाँ जैसे– बच्चे का पालन एवं पारिवारिक दायित्व संभालने आदि में समस्याऐ आएगी।

मूल शब्दः निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों

देश में महिलाओं की बड़ी जनसंख्या होने के बावजूद अगर उनकी भागीदारी देश के विकास में न ही तो इस जनसंख्या को उचित अवसर नहीं प्राप्त होगा। इस विशाल जनशक्ति की भागीदारी के बिना किसी भी प्रकार के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिये ग्रामीण विकास के लिये महिलाओं की भागीदारी महत्त्वपूर्ण मानी गई है। महिला जनप्रतिनिधियों की भागीदारी से ग्रामीण क्षेत्रों में मौलिक विकास के नए–नए आयाम खुल रहे हैं। चूंकि महिला जनप्रतिनिधि होने के नाते वे महिलाओं की कठिनाइयों को भली–भाँति समझेगी, अतः विकास करना आसान होगा।

महिलाओं को जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाने से ग्रामीण क्षेत्रों के सामाजिक वातावरण की भी उन्नति होती है। इसके अतिरिक्त महिलाओं के मनोबल में वृद्धि, महिला शिक्षा, महिला स्वास्थ्य, महिला प्रतिष्ठा आदि में भी वृद्धि होगी। महिलाओं को जनप्रतिनिधि के रूप में चुने जाने से महिलाओं में व्याप्त पर्दा प्रथा, झिझक एवं घबराहट दूर होती है तथा सही निर्णय करने की क्षमता का विकास होता है।

हालाँकि महिला जनप्रतिनिधियों की यह कह कर भी आलोचना की जाती है कि महिला के कारण पंच एवं सरपंच महिलाएँ अपने घर के पुरुष सदस्यों पर निर्भर हो जाती है और गाँव सामाजिक रूप से विकसित नहीं हो पाते। लेकिन वह भी सत्य है कि ग्रामीण विकास में महिला जनप्रतिनिधियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है। सारी आलोचनाओं के बावजूद महिला जनप्रतिनिधियों की संख्या दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। महिलाओं के प्रतिनिधित्व से विकास कार्यों में बढ़ोतरी हो रही है।

इसी प्रकार मध्यप्रदेष में महिलाओं का सशक्तिकरण स्थानीय शासन में महिलाओं के प्रतिनिधित्व की गारंटी देने वाले 73वें और 74वें संविधान संशोधन को पारित हुए लगभग 20 साल हो चुके हैं। और अधिकांश सीटों पर, कम से कम एक दशक का अनुभव, महिलाओं ने स्थानीय शासन से प्राप्त किया है।कई सफल निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने राज्य, राष्ट्रीय और संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार प्राप्त किए हैं। या संपूर्ण स्वच्छता, स्वास्थ्य जागरूकता, वर्षा जल संचयन, स्वच्छ गांव आदि के क्षेत्र में उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। यह स्थानीय शासन के माध्यम से ग्रामीण स्तर पर राजनीतिक भागीदारी में प्रवेश करने वाली महिलाओं की लगभग पहली पीढ़ी है। इन अनुभवों को देश भर में विभिन्न नागरिक समाज संगठनों द्वारा आयोजित सम्मेलनों और सम्मेलनों के माध्यम से सार्वजनिक बहस के लिए तेजी से साझा किया जाता है।

इसी परिप्रेक्ष्य में अनुसूचित जाति की महिला जनप्रतिनिधियों के अधिकार, दायित्व एवं कर्त्तव्य का निर्वाहन, नेतृत्व क्षमता तथा उनके सम्मुख आने वाली समस्याओं एवं बाधाओं का अध्ययन प्रस्तत अध्याय में किया गया है।

संचालित योजनाओं की जानकारी प्राप्त होने का स्त्रोत

किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि के लिए यह आवश्यक है कि उसे पंचायत राज व्यवस्था में संचालित योजनाओं की जानकारी हो। यदि किसी प्रतिनिधि को योजनाओं की जानकारी ही नहीं होगी तो वह किस प्रकार क्षेत्र के विकास हेतु कार्य करेगा। अतः यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि महिला पंचायत प्रतिनिधि को योजनाओं की जानकारी किस प्रकार प्राप्त होती है। निम्नलिखित तालिका के माध्यम से यही जानने का प्रयास किया गया है –

तालिका 1: संचालित योजनाओं की जानकारी प्राप्त होने का स्त्रोत

जानकारी का स्त्रोत	आवृत्ति	प्रतिशत
पंचायतराज के किसी अधिकारी द्वारा	58	19.3
सचिव के द्वारा	152	50.7
सामान्य जन के द्वारा	29	9.7
समाचार पत्र/पत्रिकाओं के द्वारा	29	9.7
टेलीविजन/रेडियों द्वारा	29	9.7
इंटरनेट के द्वारा	3	1.0
कुल	300	100.0

उपरोक्त तालिका अनुसार 50.7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने कहा कि पंचायत सचिव के द्वारा उन्हें शासन द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है तो 19.3 प्रतिशत ने कहा कि पंचायतराज के किसी अधिकारी द्वारा जानकारी प्राप्त होती है। 9. 7 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने क्रमशः सामान्य जन के द्वारा, समाचार पत्र/पत्रिकाओं के द्वारा तथा टेलीविजन/रेडियों के द्वारा जानकारी प्राप्त होना बताया है। शेष 1 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने इंटरनेट के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने की बात कही है।

आंकडों के आधार पर निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि पंचायत प्रतिनिधियों को मुख्य रूप से पंचायत राज व्यवस्था के अधिकारी – कर्मचारियों से ही संचालित योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। अन्य शासकीय विभागों की तरह ही पंचायत राज व्यवस्था में भी संचार स्थापीत करने के लिए एक प्रणाली है जिसके माध्यम से सूचनाओं का तीव्रता से प्रसार किया जाता है। पंचायत सचिव ग्राम पंचायत तथा उच्च कार्यालय के मध्य संचार का प्रमुख सेतू होता है। ग्राम पंचायत के पंच – सरपंचों तथा आम नागरिकों को सचिव के माध्यम से ही शासकीय योजनाओं की जानकारी प्राप्त होती है। वर्तमान समय में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से तीव्र गति से संचार स्थापित हो रहा है।

शासन द्वारा प्रकाशित पत्र–पत्रिकाओं का अध्ययन

किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए यह आवश्यक है कि वह शासन द्वारा प्रकाशित पत्र – पत्रिकाओं का नियमित अध्ययन करें क्योंकि उन्हीं से शासन की सभी योजनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि अनुसूचित जाति की महिला प्रतिनिधि शासन द्वारा प्रकाशित पत्र – पत्रिकाओं का अध्ययन करती है अथवा नहीं। निम्नलिखित तालिका के माध्यम से यही जानने का प्रयास किया गया है –

तालिका 2: शासन द्वारा प्रकाशित पत्र–पत्रिकाओं का अध्ययन

पत्र–पत्रिकाओं का अध्ययन	आवृत्ति	प्रतिशत
हॉ	178	59.3
नहीं	122	40.7
कुल	300	100.0

उपरोक्त तालिका अनुसार 59.3 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने हॉ में जवाब दिया कि वे शासन द्वारा प्रकाशित पत्र–पत्रिकाओं का अध्ययन करती है तो शेष 40.7 प्रतिशत ने नहीं में जवाब दिया है।

आंकडों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि अनुसूचित जाति की सभी महिला जनप्रतिनिधि शासन द्वारा प्रकाशित पत्र–पत्रिकाओं का अध्ययन नहीं करती है। इसके अनेक कारण हो सकते है। ग्रामीण महिलाओ की शिक्षा का स्तर न्यूनतम होता है जिसके कारण वे इनका अध्ययन नहीं करती है। इसके अलावा उनमें इतनी जागरूकता एवं समझ नहीं होती है कि वह पत्र–पत्रिकाओं में लिखित बातों का सही–सही अर्थ समझ सकें। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्रों में महिला जनप्रतिनिधियों के परिवार के सदस्य ही पद से सम्बधित सभी कार्य करते है इसलिए पदस्थ महिला जनप्रतिनिधि को इन्हें पढने तथा समझने की आवश्यकता ही नहीं होती है। दूसरे शब्दों में कहे तो यह सब कार्य एक पूर्व निर्धारित योजना के तहत किया जाता है जिसमें महिला के नाम पर परिवार के पुरूष अथवा अन्य प्रभुत्वशील व्यक्ति अथवा समूह चुनाव लडने से लेकर कार्यकाल पूर्ण होने तक का सभी कार्यो का निष्पादन अपनी समझ से करता है। वर्तमान समय में पंचायत राज व्यवस्था के अंतर्गत चुनाव लडना तथा जीतना सामाजिक सेवा को समर्पित ना होकर आय का एक उत्तम साधन बनकर रह गया है।

पंचायत प्रतिनिधियों को सूचना देने का प्रकार

किसी भी विभाग अथवा संस्था के कार्यो को उचित दशा एवं दिशा देने के लिए एक उत्तम संचार व्यवस्था का होना आवश्यक है। पंचायत राज व्यवस्था में अनुसूचित जनजाति की महिला जनप्रतिनिधियों को किस प्रकार सूचना प्रेषित की जाती है यह जानना अआंकडों के आधार पर निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति की महिला पंचायत प्रतिनिधियों के साथ उचित रूप से संचार स्थापित नहीं किया जा रहा है। शासकीय तंत्र में सूचनाओं के आदान–प्रदान का एक विशेष नियम एवं प्रोटोकाल होता है। जिसके अनुसार तिव्रता से सूचनाओं का आदान–प्रदान किया जाता है। इसी संचार व्यवस्था के कारण अन्य विभागों व्यवस्थाओं की तरह ही पंचायत राज व्यवस्था में भी सूचनाओं का आदान – प्रदान किया जाता है। नियमानुसार जब तक विधिवत् रूप से लिखित सूचना नहीं दी जाए नियमानुसार सूचना देना नहीं माना जाता है। लगभग 58 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने ही यह स्वीकार किया है कि उन्हें लिखित रूप में सूचना प्राप्त होती है यह एक चिंता का विषय है। व्यवहारिक रूप से देखा जाए तो पंचायत स्तर की महिला प्रतिनिधियों को शासकीय कर्मचारीयों द्वारा लिखित एवं मौखिक दोनों प्रकार से सूचना प्रदान की जाना चाहिए, जिससे कि सूचना पूर्ण रूप से पहुॅच जाए। अनुसूचित जाति की महिला प्रतिनिधि अधिक शिक्षित नहीं होती है अतः उन्हें लिखित सूचनाओं के साथ ही मौखिक रूप से भी सूचना सम्बधी बातों का ज्ञान कराना आवश्यक है। शासकीय विभागों में लिखित रूप से सूचना ना देना अनियमितता के दायरे मे आता है। यदि लिखित सूचना के प्रमाण आपके पास नहीं है तो आप पर विभागीय कार्यवाही भी हो सकती है।

पंचायत के कार्यक्रमों/बैठको में नियमित सहभागीता

किसी भी जनप्रतिनिधि का सम्बधित विभाग के कार्यक्रमों तथा बैठको में भाग लेना अति आवश्यक है। इसके अभाव में सामाजिक विकास सम्बधी कार्यो अथवा योजनाओं का सफल कियान्वयन संभव नहीं है अतः अनुसूचित जाति की महिला जनप्रतिनिधि पंचायत के कार्यक्रमों और बैठको में नियमित भाग लेती है अथवा नहीं यह जानना अत्यंत आवश्यक है। आंकडों के विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति की महिला जनप्रतिनिधि पंचायत के कार्यक्रमों एवं बैठकों में नियमित रूप से भाग लेती है। यह किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए आवश्यक है कि वह अपने से सम्बधित विभागों की बैठकों में भाग ले ताकि सामान्य जन के लिए चलाई जा रही शासकीय योजनाओं के कियान्वयन की जानकारी उन्हें प्राप्त हो। इसके अलावा पंचायत राज व्यवस्था में जनप्रतिनिधि के हस्ताक्षर के बिना किसी प्रकार का बजट नहीं बन सकता कोई प्रस्ताव पास नहीं हो सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि समय – समय पर पूर्व निर्धारित योजना के तहत बैठको में शामिल हुआ जाए। किंतु जहॉ महिला जनप्रतिनिधि है वहॉ दृश्य कुछ और भी हो सकता है। अशिक्षित तथा ग्रामीण समाज के रूढीवादी सोंच में जकडी महिला जनप्रतिनिधि केवल बैठकों में भाग लेने तथा हस्ताक्षर करने की औपचारिकता ही निभाती है। पर्दे के पीछे से तो उनके परिवार के सदस्य ही सभी प्रकार के निर्णय लेते है।

निष्कर्ष

निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि अनुसूचित जाति की महिला जनप्रतिनिधियों को सार्वजनिक अवसरों पर पूर्ण अवसर प्रदान किया जाता है। इसये ज्ञात होता है कि महिला जनप्रतिनिधियों को उचित मान – सम्मान दिया जा रहा है। किसी भी संवैधानिक अथवा राजनीतिक पद पर आसीन व्यक्ति को पद अनुसार सम्मान एवं अवसर मिलना चाहिए। यह उस व्यक्ति के साथ ही उस पद के लिए भी आवश्यक है। यदि जाति

अथवा आर्थिक – सामाजिक स्थिति देखकर ही किसी व्यक्ति के साथ व्यवहार किया जाता है तो यह उस संवैधानिक पद एवं कानून का उल्लंघन हो जाता है। ऐसे स्थान जहॉ महिला जनप्रतिनिधि को उचित अवसर एवं सम्मान नहीं दिया जा रहा है वहॉ प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार का व्यवहार ना हो और यदि फिर भी कोई व्यक्ति अथवा समुदाय इस प्रकार का कार्य करता है तो उस पर उचित कानूनी कार्यवाही होनी चाहिए। यह आवश्यक है कि किसी भी व्यक्ति के पद एवं ज्ञान के आधार पर उसे उचित अवसर एवं सम्मान प्राप्त हो।

सन्दर्भ सूची

1. सिसोदिया, यतीन्द्र सिंह (2000),"पंचायती राज एवं अनुसूचित जाति महिला नेतृत्व" रावत पब्लिकेषन, दिल्ली।
2. कटारिया, सुरेन्द्र कुमार (2009),"पंचायती राज सषक्तिकरणः बाधाऍ एवं संभावनाऐं", कुरूक्षेत्र, अगस्त, प्रकाषन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।
3. श्रीवास्तव गीता (2003), "राजनीति में महिलाओं की भागीदारी" षोध पत्रिका, वानीस महूॅ पृष्ट, 99,101,109,112,115।
4. प्रसाद अवध (1998), "गांवों में सामाजिक आर्थिक एवं राजनैतिक परिवर्तन" रावत पब्लिकेषन जयपुर।